

DISTRICT CHAMPAWAT- (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR

A meeting of the district level committee of Champawat district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr.R.S.Chauhan, I.A.S District Magistrate, Champawat, Uttarakhand, on dated 23.06.2019 at time 11.00 AM at Champawat in which application claiming rights in Nadhan villages in Champawat tehsil, area measuring 2.272 ha. for the construction of Laluwapani Banlekh M/R to Nadhan Motor Road under PMGSY in Champawat forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Champawat tehsil were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District Level Committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place: Champawat
Dated: 23.06.2019

(R.S. Chauhan) I.A.S
District Magistrate-cum-chairman, District Level
Committee, Champawat

(रणवीर सिंह चौहान)
जिलाधिकारी
चम्पावत

7

FORM-1

**Government of Uttarakhand
Office of the District Collector Champawat**

No--- 4600

Dated 19.06.2019

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

Name of Motor road:- Construction of Luluwapani Banlekh M/R to Nadhan Motor Road under PMGSY.

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MOEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MOEF's letter dated 5th February 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 2.272 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Rural Development Department &I.D., P.W.D, PMGSY Champawat. Luluwapani Banlekh M/R to Nadhan Motor Road (purpose for diversion of forest land) in Champawat district falls within jurisdiction Nadhan village(s) in Champawat tehsil.

It is further certified that:

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 2.272 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 1 to 5 annexure.
- (b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gramsabha have given their consent to it;
- (c) the proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Eucl: As above.

Signature

(Full name and official seal of the District Collector)

जिलाधिकारी
चम्पावत

प्रारूप 30.2

परियोजना का नाम :- जनपद चम्पावत में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, ललुवापानी बनलेख मोटर मार्ग के कि०मी० 02 से नधान मोटर मार्ग (4.000 किमी०) के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, चम्पावत
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी
अधिनियम 2006 के तहत
प्रमाण-पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, चम्पावत

उपखण्ड चम्पावत परिक्षेत्र के अन्तर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत ललुवापानी बनलेख मोटर मार्ग से नधान मोटर मार्ग के निर्माण हेतु (0.000 हे० आरक्षित वनभूमि, 0.281 हे० सिविल सोयम वनभूमि, 1.991 हे० वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 2.272 हे० वनभूमि) का सि०ख०, लो०नि०वि०, चम्पावत प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील चम्पावत) की दिनांक 18.04.2019 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वननिवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री अनिल रावेल उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1- श्री अनिल रावेल, उपजिलाधिकारी, चम्पावत, अध्यक्ष
- 2- श्री मनोहर सिंह मैथिल, उप प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत उप प्रभाग, सदस्य
- 3- श्री नईम जालम, सहायक समाज कल्याण अधिकारी, चम्पावत, सदस्य
- 4- श्री बसंत सिंह रावेल, बी०डी०सी० क्षेत्र नधान, सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद चम्पावत में पी०एम०जी०एस०वाई० के अन्तर्गत ललुवापानी बनलेख मोटर मार्ग के कि०मी० 02 से नधान मोटर मार्ग, लम्बाई 4.000 कि०मी०, का निर्माण कार्य परियोजना हेतु 2.272 हे० वनभूमि का ग्राम्य विकास विभाग, कार्यदायी संस्था सि०ख०, लो०नि०वि०, चम्पावत प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्रामसभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्तभूमि का संबंधित ग्रामसभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्रामसभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड चम्पावत परिक्षेत्र के अन्तर्गत ललुवापानी बनलेख मोटर मार्ग के कि०मी० ०२ से नधान मोटर मार्ग लम्बाई ४.००० कि०मी०, का निर्माण कार्य परियोजना हेतु २.२.१२ हे० वनभूमि सि०ख०, लो०नि०वि०, चम्पावत प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अक्षयक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील- चम्पावत
जनपद- चम्पावत

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, चम्पावत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

बसन्त सिंह तड़ागी
ज्येष्ठ उप प्रमुख
वि०ख० चम्पावत

क्रिय० हे०
२५/१२
सम० ल० की० अ०
चम्पावत

२५/१२/२०१७

२५/१२/२०१७

उप जिलाधिकारी/अक्षयक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील- चम्पावत
जनपद- चम्पावत

प्रारूप-23.1

परियोजना का नाम :- जनपद चम्पावत में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, ललुवापानी बनलेख मोटर मार्ग के कि०मी० 02 से नधान मोटर मार्ग (4.000 किमी०) के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र
ग्राम पंचायत का नाम - नधान
तहसील चम्पावत, जिला चम्पावत

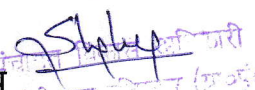
अनापत्ति प्रमाण पत्र

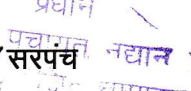
उत्तराखण्ड में जनपद चम्पावत के अन्तर्गत ललुवापानी बनलेख मोटर मार्ग से नधान मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु (आरक्षित वनभूमि, 0.00 हे० सिविल सोयम भूमि 0.281 हे०, वनपंचायत भूमि 1.991 हे०) अर्थात् कुल 2.272 हे० वनभूमि का सि०ख०, लो०नि०वि०, चम्पावत विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वनमंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत नधान द्वारा दिनांक 5/03/19 को सम्पन्न ग्रामसभा/ग्रामपंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वनभूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वनभूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम पंचायत नधान के ग्रामवासियों को उक्त वनभूमि सि०ख०, लो०नि०वि०, चम्पावत प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह०/- 
ग्रामसचिव
मुहर सहित


ह०/- 
ग्रामप्रधान/सरपंच
मुहर सहित

प्रारूप-23.1

दिनांक 05.03.2019 को ग्रामसभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्रामपंचायत - नधान

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
	केलाश चन्द	केलाश चन्द
	मालर दत्त	मालर दत्त
	रेवाधर जोशी	रेवाधर जोशी
	कुल्लानन्द जोशी	कुल्लानन्द जोशी
	मिलाधर	मिलाधर
	दिलेराम	दिलेराम
	गोपाल दत्त	गोपाल दत्त
	केशव दत्त	केशव दत्त
	महेश चन्द	महेश चन्द
	दिलेराम	दिलेराम
	चुडामणी जोशी	चुडामणी जोशी
	हरिश चन्द बिमवाल	हरिश चन्द बिमवाल
	ईश्वरी दत्त	ईश्वरी दत्त
	शंकर दत्त जोशी	शंकर दत्त जोशी
	डीकर देव जोशी	डीकर देव
	केशव दत्त	केशव दत्त
	नीलाधर जोशी	नीलाधर
	महावती जोशी	महावती
	बैनी देवी	बैनी देवी
	खिलानन्द बिमवाल	खिलानन्द
	लक्ष्मी देवी	लक्ष्मी देवी
	अमित जोशी	अमित
	लीलाधर जोशी	लीलाधर
	भीम दत्त जोशी	भीम दत्त

ह0/
ग्रामप्रधान

लोकाजी जोशी
ग्राम पंचायत नधान
वि०प्र०/जि० चम्पावत

शिरोमणी जोशी
शिरोमणी जोशी
महेश जोशी
मनोज जोशी

मंजू देवी
खीमत नंद
चरण जोशी
इंद्र देव
कृष्ण जोशी
शिरोमणी
मोहन चंद्र विनवाळ
माधवानंद
सतीश चंद्र
रेवती देवी
देवी दत्त
दीवानी राम

केदार नाथ
गणेश

ममता देवी
लि लोमणी
पाला दत्त

वसुदत्त
मनोहर दत्त
तारी देवी

गंगादास जोशी श्री हरि दत्त जोशी उद्योग

शिरोमणी
शिरोमणी

Mahesh joshi
manojoshi

Mam

मंजू देवी

श्रीमानंद

Krishna joshi

इंद्र देव

कृष्ण जोशी

शिरोमणी

मोहन चंद्र विनवाळ

माधवानंद

सतीश चंद्र

रेवती देवी

देवी दत्त

दीवानी राम

Abinaval

केदार नाथ

गणेश

Mamata

ममता देवी

लि लोमणी

पाला दत्त

Vasudatta

वसुदत्त

मनोहर दत्त

तारी देवी

गंगादास जोशी श्री हरि दत्त जोशी उद्योग

શ્રીમાન્ડે ત્રીમાધર
બચી દેવી-

શંકર કા જોશી
વસન્ત પિત્રાલ
દેવી કા
દીપક જોશી
શામ્લી દેવી-
ઉચ્કરી દેવી-
મહેશ જોશી-
ઈશ્વરી દેવી
નારાયણ જોશી
મોતીરામ -

શ્રીમાન્ડે 12

બચી દેવી
~~કા જોશી~~
શંકર પાંડે
વસન્ત પિત્રાલ
દેવી કા
દીપક જોશી
શામ્લી દેવી
ઉચ્કરી દેવી
મહેશ જોશી
ઈશ્વરી દેવી
નારાયણ જોશી
મોતીરામ

મોતીરામ જોશી

પ્રધાન

ગ્રામ પંચાયત નઘાન

વિંચ્ચ/જિંચ્ચ વમ્પાવત